

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला-कोरिया बैकुण्ठपुर (छ0ग0)

(07836-232721(कार्या.) 232722(फैक्स.)Email ID:korea.cg@nic.in

क्रमांक/2187/एस.डब्ल्यू/ COVID 19/2020
प्रति,

बैकुण्ठपुर दिनांक 27/04/2020

1. पुलिस अधीक्षक,
बैकुण्ठपुर जिला कोरिया (छ0ग0)
2. अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,
जिला कोरिया (छ0ग0)
3. अनुविभागीय दण्डाधिकारी
बैकुण्ठपुर/चिरमिरी-खड़गवां/सोनहत/मनेन्द्रगढ़/भरतपुर
जिला कोरिया (छ0ग0)
4. श्रम अधिकारी,
बैकुण्ठपुर जिला कोरिया (छ0ग0)
5. मुख्य नगर पालिका अधिकारी
.....जिला कोरिया, (छ0ग0)
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जनपद पंचायतजिला कोरिया (छ0ग0)

विषय :- कोरोना वायरस संक्रमण नियंत्रण हेतु घोषित लॉकडाउन में चिन्हित जिले/हॉटस्पॉट के भीतर कंटेन्मेंट जोन को छोड़कर शेष क्षेत्रों में अतिरिक्त गतिविधियों की अनुमति बाबत।

संदर्भ :- छ0ग0 शासन श्रम विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर का पत्र क्रमांक/2473/को.वा./2020 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 25.04.2020.

—00—

उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) से संक्रमण एवं रोकथाम एवं नियंत्रण के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है। पत्र की छायाप्रति संलग्न है।

अतः उपरोक्त प्राप्त निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुये प्रतिषेदन इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(डोमन सिंह)

कलेक्टर

एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला कोरिया (छ0ग0)

बैकुण्ठपुर दिनांक 27/04/2020

पृ.क्रमांक/2188/एस.डब्ल्यू/ COVID 19/2020
प्रतिलिपि :-

1. संभाग आयुक्त सरगुजा अम्बिकापुर जिला सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ।

कलेक्टर

एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला कोरिया (छ0ग0)



छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक 2473/को.वा/2020
प्रति.

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 25/04/20


समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़

विषय: कोरोना वायरस संक्रमण नियंत्रण-हेतु घोषित लॉकडाउन में चिन्हित जिले/हॉटस्पॉट के भीतर कंटेन्मेंट जोन को छोड़कर शेष क्षेत्रों में अतिरिक्त गतिविधियों की अनुमति बाबत ।

- सन्दर्भ: (1) गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के आदेश क्रमांक 40-3/2020-DM-I(A), दिनांक 15 अप्रैल, 2020
(2) गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के आदेश क्रमांक 40-3/2020-DM-I(A), दिनांक 24 अप्रैल, 2020

उपरोक्त विषयांतर्गत गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के संदर्भित पत्र क्रमांक (2) की छाया प्रति संलग्न करते हुए लेख है कि पत्र में उल्लेखित स्पष्टीकरण एवं दिशा निर्देश के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करें । साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग, सेनेटाइजेशन, मास्क का उपयोग एवं अन्य सावधानियाँ तथा उपाय संबंधी निर्देशों का पालन भी सुनिश्चित करें

संलग्न - संदर्भित पत्र क्रमांक-(2)



(सोनमणि बोरा)

सचिव सह आयुक्त,

श्रम विभाग

छत्तीसगढ़ शासन,

पृ0क्रमांक 2474/को.वा/2020
प्रतिलिपि-

नवा रायपुर, दिनांक 25.04.2020


1. सचिव, माननीय राज्यपाल, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मान0 मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन

Room No.: S-4/03, 4th Floor, Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Nava Raipur Atal Nagar (C.G.) 492002

Phone : 0771-2234110 fax : 2510266

Email : secv-labour.cg@gov.in. Website : www.celabour.nic.in

3. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ शासन
4. सचिव, गृह मंत्रालय, भारत, सरकार, नई दिल्ली।
5. सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
6. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, महानदी भवन
7. अपर मुख्य सचिव, छ0ग0शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन
8. पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़ शासन।
की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।
9. समस्त संभाग आयुक्त (राजस्व).....
10. समस्त पुलिस महानिरीक्षक.....
11. समस्त पुलिस अधीक्षक
12. समस्त श्रम विभागीय अधिकारी, जिला — छत्तीसगढ़
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


सचिव सह आयुक्त,
श्रम विभाग
छत्तीसगढ़ शासन,

North Block, New Delhi-110001
Dated 24th April, 2020

ORDER

In continuation of Ministry of Home Affairs's Order No. 40-3/2020-DM-I(A) Dated 15th April, 2020 and in exercise of the powers, conferred under Section 10(2)(l) of the Disaster Management Act, the undersigned, in his capacity as Chairperson, National Executive Committee, hereby orders the following amendments in the consolidated revised guidelines for strict implementation by Ministries/Departments of Government of India, State/Union Territory Governments and State/Union Territory Authorities:

Modifications

- i. In Sub-clause 1 (x), the term 'shopping complexes' is replaced with 'market complexes within the limits of municipal corporations and municipalities'.

Inclusions

- i. Sub-clause (xiii) & (xiv) under Clause 14 on Commercial and private establishments:
 - xiii. All shops registered under the the Shops and Establishment Act of the respective State/UT, including shops in residential complexes and market complexes, except shops in multi-brand and single brand malls, **outside the limits of municipal corporations and municipalities**, with 50% strength of workers with wearing of masks and social distancing being mandatory.
 - xiv. All shops, including neighborhood shops and standalone shops, shops in residential complexes, **within the limits of municipal corporations and municipalities**, registered under the the Shops and Establishment Act of the respective State/UT, **except shops in market complexes and multi-brand and single brand malls**, with 50% strength of workers with wearing of masks and social distancing being mandatory.


Home Secretary 24/04/2020

To

1. The Secretaries of Ministries/ Departments of Government of India
 2. The Chief Secretaries/Administrators of States/Union Territories
- (As per list attached)

Copy to:

- i. All members of the National Executive Committee.
- ii. Member Secretary, National Disaster Management Authority.